



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2009/आषाढ़ 12, 1931

No. 381]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2009/ASADHA 12, 1931

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय )

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL OF INDIA)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 30 जून, 2009

New Delhi, the 30th June, 2009

सा.का.नि. 458(अ).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार जनगणना नियमावली, 1990 में अनुवर्ती संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Census Rules, 1990, namely:—

- (1) इन नियमों को जनगणना (संशोधन) नियमावली, 2009 के नाम से जाना जाएगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6 में निम्नलिखित परन्तुक को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

- (1) These rules may be called the Census (Amendment) Rules, 2009.
- (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In rule 6 of the Census Rules, 1990, the following proviso shall be inserted, namely:—

“परंतु यह तब जबकि पूर्व-परीक्षण, प्रायोगिक अध्ययन, गणना उपरांत जांच तथा मूल्यांकन अध्ययन या सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संबंध में भरी गई अनुसूचियों या प्रश्नावलियों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाए।”

“Provided that the schedules or questionnaires canvassed in relation to conduct of pre-test, pilot studies, post enumeration check and evaluation studies or statistical surveys may not be notified in the Official Gazette.”

[फा. सं. 9/7/2009-सी.डी. (सेन)]

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

देवेन्द्र कुमार सीकरी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त  
टिप्पणी :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या का.आ. 967(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 19 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

D. K. SIKRI, Registrar General  
and Census Commissioner of India

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 967(E), dated the 31st December, 1990 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 589(E), dated the 19th July, 1994.